

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर  
E-mail: sjeraj\_dev@yahoo.co.in, Telephone no-0141-2226643

क्रमांक:-एफ.11(164)/सा.न्या.अ.वि./दे.यो./छा.क्ष.ब.घ./15-16/

43120


दिनांक:-

19/07/2019

आदेश

देवनारायण योजनान्तर्गत विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ 7(2)( )रा.छा./देव.यो./सान्याअवि/11-12/82606 दिनांक 31.10.2011 द्वारा बीकानेर जिला मुख्यालय पर देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास 50 छात्रों की क्षमता का स्वीकृत है। परन्तु उक्त छात्रावास का संचालन अभी तक भी नहीं हुआ है।

उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर के पत्र क्रमांक सान्याअवि/2019/7732 दिनांक 01.07.2019 के प्रस्ताव अनुसार देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास बीकानेर (स्वीकृत छात्र क्षमता-50) में विद्यालय स्तरीय छात्रों के साथ-साथ कॉलेज स्तरीय छात्रों को भी प्रवेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। छात्रावास संचालन नियमों की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।



(सांवर मलु बर्मा) IS  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.11(164)/सा.न्या.अ.वि./दे.यो./छा.क्ष.ब.घ./15-16/

43121-30

दिनांक:-

19/07/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर बीकानेर।
6. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), मुख्यावास।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) आई.टी, मुख्यावास।
8. उप निदेशक (प्रचार-प्रसार) मुख्यावास।
9. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर।
10. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।

  
अतिरिक्त निदेशक (देव.यो.)